अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,
व्यवहार न्यायालय बिरौल, जिला–दरभंगा, बिहार

J.Pur P.S.-04/2019

03.10.2019 G.R.- 35/2019

आवेदक काराधीन अभियुक्त **राजकुमार यादव** की ओर से वकालतनामा के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया, जिसकी प्रतिलिपि विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी को दी जा चुकी है। आवेदन प्रचालित किया गया।

बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है तथा इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक की ओर से दाखिल ABP-740/19 को माननीय सत्र न्यायाधीश, दरभंगा से खारिज कर दिया गया है तथा आवेदक की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल Cri.-Mis-61232/19 को वापस ले लिया गया। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 14.09.2019 से काराधीन है। आवेदक न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत बंध पत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदक को जमानत पर रिहा करने की कृपा की जाए।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी ने जमानत के बिंदु पर विरोध प्रकट किया है।

उभयपक्षों को सुनने तथा अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कांड में सूचक के लिखित आवेदन पर धारा–304(B)/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया, जो अजमानतीय है। आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं। आवेदक पर सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर षड्यंत्र करके सूचक की पुत्री की दहेज के लिए हत्या कर देने का आरोप है। आवेदक द्वारा दाखिल ABP-740/19 को माननीय सत्र न्यायाधीश, दरभंगा द्वारा खारिज कर दिया गया तथा आवेदक की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल Cri.-Mis-61232/19 को वापस ले लिया गया। धारा–304(B)/34 भा0द0वि0 विशिष्ट रूप से माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

ऐसी स्थिति में अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को देखते हुए आवेदक को जमानत पर रिहा करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक काराधीन अभियुक्त **राजकुमार यादव** की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी
बिरौल, दरभंग